उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–4170 / छः–पु0–9–19–20(10)(4) / 98
लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, दिनांक 19.12.2019 के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हो रहे धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत लखनऊ जनपद में तैनात निम्नलिखित 03 अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली सभी शक्तियां उन्हें प्रदान करते है, जिनका प्रयोग वे लखनऊ जनपद की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे :–

(1)–श्री नरेन्द्र सिंह–II, सदस्य, वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ।

(2)–श्री देवी प्रसाद पाल, सचिव, उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड लखनऊ।

(3)–श्री सहदेव कुमार मिश्रा, उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, लखनऊ।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–4170(1) / छः–पु0–9–19–20(10)(4) / 98 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 10 मुद्रित प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–4170(2) / छः–पु0–9–19–20(10)(4) / 98 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(3) पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
(4) जिला अधिकारी, लखनऊ।
(5) विशेष सचिव, नियुक्ति अनुभाग–2 ।
(6) सम्बन्धित अधिकारीगण।
(7) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(8) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

E: Data Police-9 Pramod Rai R O Notification DRAFT 7921